जनपद हमीरपुर

प्रेसनोट- थाना बिवांर **दिनांक 19.11.2026**

थाना बिवांर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सायर में रोडवेज बस चालक एवं महिला परिचालक के साथ हाथापाई करने वाले तीन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत, पुलिस द्वारा की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही ।

घटना का विवरण-

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 18.11.2026 को थाना बिवांर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सायर में सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से रोडवेज बस की पासिंग को लेकर बस चालक सचिन पाल एवं महिला परिचालक आरती कुशवाहा तथा ट्रैक्टर चालक पक्ष के मध्य विवाद हो गया था। जिसके सम्बन्ध में महिला परिचालक द्वारा थाना बिवांर पुलिस को तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि ट्रैक्टर चालक पक्ष के तीन व्यक्तियों 1. लाला गौतम, 2. शिवा गौतम एवं 3. राज गौतम, निवासीगण ग्राम सायर, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर द्वारा बस चालक एवं उनके साथ मारपीट की गई तथा गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई ।

पुलिस कार्यवाही-

प्रकरण में महिला परिचालक आरती कुशवाहा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिवांर पर मु0अ0सं0 229/2026, धारा- 115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 के अंतर्गत उपरोक्त तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वायरल वीडियो एवं घटना से संबंधित अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।